न्यायालय माननीय अध्यक्ष / सदस्य म0प्र0राजस्व मण्डल

ग्वालियर सर्किट केम्प भोपाल.

निगरानी प्रकरण कमॉक-- / 2018

निगरानी-3022/2018/राजगढ़/भू.रा.

1-- यासीन खॉ आ0 गुलफाम खॉ
2-- इस्माईलखॉ आ0 गुलफाम खॉ
दोनो निवासीगण-- ग्राम चतरूखेडी
परगना सारंगपुर जिला राजगढ म0प्र0। .... आवेदकगण

विरूद्ध

1-- शब्बीर अली आ0 रहमत अली
2-- रफीक अली आ0 रहमत अली
3-- खातून बी विधवा रहमत अली
सभी निवासीगण-- ग्राम चतरूखेडी
परगना सारंगपुर जिला राजगढ म0प्र0। .... अनावेदकगण

अभिभावक श्री...................
द्वारा आज दिनांक 16.11.18
को पेश।
अधिवक्ता

मध्यप्रदेश भू--राजस्व संहिता की धारा--50 के अन्तर्गत निगरानी .

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से विद्वान अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल उनके प्रकरण कमॉक--320 / अपील / 2007--08 में पारित आदेश दिनॉक--30--01--2018 से असंतुष्ट एवं दुखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है।

प्रकरण के तथ्य

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है, कि ग्राम चतरूखेडी में परगना सारंगपुर पटवारी हल्का नम्बर 64 स्थित भूमि के नामांतरण हेतु एक आवेदन--पत्र वर्तमान आवेदकगण के द्वारा अधिनस्थ तहसील न्यायालय सारंगपुर के समक्ष प्रस्तुत किया। अधिनस्थ तहसीलदार महोदय द्वारा विधिवत सुनवाई करते हुये आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन--पत्र स्वीकार कर आवेदकगण के पक्ष में नामांतरण के आदेश दिये गए।

यह कि अधिनस्थ तहसीलदार महोदय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध वर्तमान अनावेदकगण के द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी सारंगपुर के समक्ष प्रस्तुत की जो उनके द्वारा समयावधि वाह्य मानकर निरस्त की गई।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी / राजगढ़ / भूरा / 2018 / 3022

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
03/07/18	आवेदक के अधिवक्ता श्री अनोज कुमार गुप्ता उपस्थित। उनके द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के प्रकरण कमांक 320 / अपील / 2007–08 में पारित आदेश दिनांक 30.01.18 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2–आवेदक अधिवक्ता का मुख्य रूप से यह तर्क है कि ग्राम चतरूखेडी में परगना सारंगपुर पटवारी हल्का नम्बर 64 स्थित भूमि के नामांतरण हेतु एक आवेदन दिया था। आवेदक का आवेदन तहसीलदार द्वारा स्वीकार किया गया। जिसके विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी सारंगपुर जिला राजगढ़ के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा समयावधि मानकर निरस्त की गई है। आवेदक का मुख्य रूप से यह तर्क था कि वह पहले धारा–5 के आवेदन पर आदेश पारित करते उसके पश्चात गुण–दोष पर आदेश पारित किया जाता । 3– आवेदक के अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। अवलोकन से प्रतीत होता है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा धारा–5 के आवेदन का निराकरण नहीं किया गया है और प्रकरण में आदेश पारित किया गया है, जबकि अनुविभागीय अधिकारी सारंगपुर जिला राजगढ	

को पहले धारा–5 का निराकरण करना था जो उनके द्वारा नहीं किया गया और इस ओर अपर आयुक्त भोपाल द्वारा भी ध्यान नहीं दिया गया। इसलिये उनका आदेश त्रुटिपूर्ण आदेश होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

4–उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के प्रकरण कमांक 320/अपील/2007–08 में पारित आदेश दिनांक 33.01.18 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी सारंगपुर जिला राजगढ को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये पहले धारा–5 के आवेदन का निराकरण करें। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिकरूप से स्वीकार की जाती है।

सदस्य